



विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रति प्रधानाचार्यों की अवधारणा: एक तुलनात्मक अध्ययन (दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में)

डॉ ८ जितेंद्र कुमार गिरि ; शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार

सारांश (Abstract):

यह शोध पत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसीद्व के प्रति अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत एसएमसी के कार्यए संरचना ए भूमिका और प्रभावशीलता के प्रति प्रधानाचार्यों की समझ ए अनुभव और सहयोग की प्रवृत्तियों का समग्र मूल्यांकन इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। शोध में यह पाया गया कि दोनों राज्यों के प्रधानाचार्य एसएमसी की कानूनी और संरचनात्मक समझ के संदर्भ में अत्यंत सजग हैं ए किंतु उनके अनुभव और सहभागिता के स्तर में स्पष्ट भिन्नताएं हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य एसएमसी को निर्णय लेने की एक सक्रिय इकाई के रूप में देखते हैं जबकि दिल्ली में इसकी भूमिका अपेक्षाकृत सीमित और औपचारिक मानी जाती है। यह शोध एसएमसी की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्य की अवधारणाओं ए प्रशिक्षण और संवाद के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रस्तावना (Introduction):

विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, एसएमसीद्व भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल के रूप में उभरी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 ने न केवल शिक्षा को सभी के लिए मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया ए बल्कि विद्यालयों के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को भी अनिवार्य कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत एसएमसी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी ए उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बने तथा विशेष रूप से अभिभावकों की भूमिका विद्यालय प्रबंधन में सशक्त रूप से परिलक्षित हो। इस प्रकार एसएमसी विद्यालयों को मात्र शिक्षण संस्थान न मानकर सामाजिक साझेदारी और सामुदायिक सहयोग का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य करती हैं।

हालाँकि ए किसी भी संस्थागत संरचना की सफलता केवल उसके कानूनी प्रावधानों या औपचारिक नियमों पर निर्भर नहीं करती ए बल्कि उस संरचना को संचालित करने वाले नेतृत्व की दृष्टिए समझ और प्रतिबद्धता पर भी आधारित होती है। विद्यालय प्रबंधन समितियों के संदर्भ में यह भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्यालय प्रधानाचार्यों की होती है। प्रधानाचार्य विद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों ही पहलुओं के केंद्र में स्थित होते हैं और उनकी धारणा ए दृष्टिकोण तथा व्यवहार यह तय करते हैं कि एसएमसी केवल औपचारिक संस्था बनकर रह जाएगी या वास्तव में विद्यालय सुधार का प्रभावी उपकरण सिद्ध होगी।

इसी पृष्ठभूमि में यह शोध दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्षयों वाले राज्यों के प्रधानाचार्यों की एसएमसी के प्रति अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्र में ए जहाँ

शहरी चुनौतियाँ एवं तकनीकी निर्भरता और अभिभावकों की व्यस्त जीवनशैली एक विशिष्ट संदर्भ प्रस्तुत करती है एवं वहीं हिमाचल प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत ग्रामीण और सामुदायिक जीवन से जुड़े राज्य में विद्यालयों और समुदाय के संबंध अधिक आत्मीय और निकट पाए जाते हैं। यह विरोधाभास इस शोध को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

इस अध्ययन का केंद्रीय प्रश्न यह है कि जब प्रधानाचार्यों के पास एसएमसी की संरचना एवं कार्यप्रणाली और अधिकारों की समान जानकारी हो एवं तब भी क्या उनके सामाजिक एवं प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवेश उनकी अवधारणाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं? क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे भिन्न संदर्भों में प्रधानाचार्य एसएमसी को समान रूप से विद्यालय प्रशासन का सहयोगी मानते हैं या उनकी दृष्टि में अंतर पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एसएमसी की प्रभावशीलता को समझने में ही सहायक नहीं होगा एवं बल्कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में समुदाय विद्यालय संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए दिशा भी प्रदान करेगा।

शोध उद्देश्य (Research Objectives)

- 1 दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत एसएमसी की संरचना एवं कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी और जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- 2 दोनों राज्यों के प्रधानाचार्यों की दृष्टि में एसएमसी की भूमिका एवं महत्व को समझना।
- 3 एसएमसी की बैठकों की नियमितता एवं सदस्यों की उपस्थिति और सहभागिता के स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
- 4 एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण संबंधी अवसरों और प्रधानाचार्यों की धारणा का अध्ययन करना।
- 5 दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्यों की दृष्टि से संवाद और सामुदायिक संपर्क के विभिन्न तरीकों की पहचान करना।
- 6 दोनों राज्यों के प्रधानाचार्यों द्वारा अनुभव की गई प्रमुख चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

- 1 क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्य आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत एसएमसी की संरचना और कार्यप्रणाली के प्रति समान रूप से जागरूक हैं?
- 2 प्रधानाचार्यों की दृष्टि में एसएमसी की भूमिका किस प्रकार परिभाषित होती है कि एक औपचारिक संस्था के रूप में अथवा एक सहायक एवं सलाहकार निकाय के रूप में?
- 3 क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एसएमसी बैठकों की नियमितता और सदस्यों की उपस्थितिश्वागीदारी में कोई महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है?
- 4 क्या दोनों राज्यों में एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण के अवसरों और उनकी उपलब्धता में भिन्नता विद्यमान है?
- 5 प्रधानाचार्यों के अनुसार संवाद और सामुदायिक संपर्क में हिमाचल और दिल्ली की एसएमसी कौन से साधनों को प्राथमिकता देती हैं?
- 6 क्या हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रधानाचार्य एसएमसी कार्यों में समान रूप से चुनौतियों का अनुभव करते हैं अथवा इसमें अंतर पाया जाता है?

शोध पद्धति (Research Methodology)

- 1 यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध डिजाइन, क्षेत्रीय विवरण एवं समाजिक संबंधों के विवरण के अधीन अवधारणाओं की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना है।
- 2 शोध क्षेत्र, विषयस्त्री विवरण एवं संस्कृति का विवरण करना है।
- 3 दिल्ली, शहरी परिप्रेक्ष्य सहित द्वारा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रति अवधारणाओं की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना है।
- 4 दिल्ली, शहरी परिप्रेक्ष्य सहित द्वारा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रति अवधारणाओं की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना है।
- 5 दिल्ली, शहरी परिप्रेक्ष्य सहित द्वारा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रति अवधारणाओं की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना है।
- 6 दिल्ली, शहरी परिप्रेक्ष्य सहित द्वारा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रति अवधारणाओं की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना है।

3^{एवं} जनसंख्या एवं नमूना (Population and Sample)

- जनसंख्या (Population):** दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्तर, न्यूचमत चतुर्पाँतल समझने के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य।
- नमूना :** उच्चसम्बद्ध कुल 100 प्रधानाचार्य, दिल्ली से 50 तथा हिमाचल प्रदेश से 50 द्वारा
- नमूना चयन की विधि:** इन्हें उच्चसम्बद्ध कुल 100 प्रधानाचार्य, दिल्ली से 50 तथा हिमाचल प्रदेश से 50 द्वारा नमूनाकरण पद्धति का प्रयोग किया गया ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों का प्रतिनिधित्व हो सके।

4^{एवं} डेटा संग्रहण की विधि (Data Collection डमजीवकेद्व)

डेटा संग्रहण हेतु सर्वेक्षण पद्धति (**Survey Method**) का उपयोग किया गया।

प्रश्नावली (Questionnaire):

1^{एवं} एक संरचित प्रश्नावली विकसित की गई ए जिसमें 10 मुख्य प्रश्न सम्मिलित थे। ये प्रश्न "डॉ की संरचना ए कार्यप्रणाली ए बैठकों की नियमितता ए सदस्यों की सहभागिता ए प्रशिक्षण ए पारदर्शिता ए संवाद एवं चुनौतियों से संबंधित थे।

2^{एवं} अर्ध-संरचित साक्षात्कार (**Semi-structured Interviews**): चयनित प्रधानाचार्यों से गहन एवं अनुभवजन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्ध-संरचित साक्षात्कार भी किए गए।

5^{एवं} उपकरण ; ज्ञानसंख्या

1^{एवं} संरचित प्रश्नावली

2^{एवं} अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची

इस शोध में संकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विश्लेषण ए तुलनात्मक सारणियाँ ए सांख्यिकीय चार्ट एवं ग्राफ तथा वर्णनात्मक व्याख्या जैसी तकनीकों की सहायता से किया गया। साथ ही इस शोध की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रधानाचार्यों की सहमति लेकर ही डेटा संग्रहण किया गया ए उत्तरदाताओं की पहचान गोपनीय रखी गई तथा संकलित आंकड़ों का उपयोग केवल शैक्षणिक शोध उद्देश्यों के लिए ही किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings) –

1^{एवं} जानकारी और जागरूकता. अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों के 100 प्रधानाचार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों, डॉक्टर से संबंधित कानूनी प्रावधानों ए विशेषकर आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत उनके गठन ए संरचना और कार्यप्रणाली के विषय में पर्याप्त जानकारी रखते हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि दोनों राज्यों के प्रधानाचार्य प्रशासनिक दृष्टि से सजग और जागरूक हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि विद्यालय प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर नेतृत्व क्षमता और नीति संबंधी स्पष्टता मौजूद है ए जो कि एसएमसी की प्रभावशीलता के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। यह जागरूकता यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन और समुदाय की भागीदारी सही दिशा में हो सके।

2^{एवं} एसएमसी की भूमिका की अवधारणा. हालाँकि दोनों राज्यों के प्रधानाचार्यों में जानकारी का स्तर समान है ए लेकिन उनकी अवधारणाओं में स्पष्ट अंतर पाया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्य एसएमसी को विद्यालय प्रशासन का सहायक और सलाहकार निकाय मानते हैं ए जो निर्णय निर्माण और योजना प्रक्रिया में सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसके विपरीत ए दिल्ली के अनेक प्रधानाचार्य इसे केवल एक अनिवार्य औपचारिक संस्था के रूप में देखते हैं ए जिसका गठन केवल कानूनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है। यह भिन्न दृष्टिकोण इस बात का सूचक है कि दिल्ली में एसएमसी की कार्यप्रणाली सतही स्तर पर सीमित रह जाती है ए जबकि हिमाचल में इसे वास्तविक रूप से विद्यालय सुधार की प्रक्रिया का अंग माना जाता है।

3^{एवं} बैठकें और सहभागिता. आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोनों राज्यों में मासिक एसएमसी बैठकों का आयोजन अनिवार्य है और यह प्रक्रिया नियमित रूप से सम्पन्न भी होती है। किन्तु इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता के स्तर में बड़ा अंतर दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में बैठकों के दैरान सदस्यों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और व्यापक रही। सदस्य न केवल उपस्थिति दर्ज करते हैं बल्कि विद्यालय

से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत ए दिल्ली में सभी प्रधानाचार्यों ने यह स्वीकार किया कि बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति अधूरी रहती है और अधिकतर मामलों में सहभागिता सीमित होती है। यह स्थिति दिल्ली में एसएमसी की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है और इसे केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित कर देती है।

4^व प्रशिक्षण. विद्यालय प्रबंधन समितियों की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उनके सदस्यों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो। इस संदर्भ में अध्ययन से ज्ञात हुआ कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 90% प्रधानाचार्यों ने बताया कि एसएमसी के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है ए जिससे वे अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इसके विपरीत ए दिल्ली में यह संख्या लगभग 80% रही। इतना ही नहीं ए दिल्ली में 10% प्रधानाचार्य ऐसे भी पाए गए जो प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रियाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में प्रशिक्षण की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही स्तरों पर असमानता है ए जबकि हिमाचल इस दिशा में अपेक्षाकृत अधिक संगठित और प्रभावी दिखाई देता है।

5^व संवाद और सामुदायिक संपर्क. विद्यालय प्रबंधन समितियों के कार्यान्वयन में संवाद और सामुदायिक संपर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों ने विशेष संगोष्ठियों ए ग्राम स्तर पर बैठकों तथा व्यक्तिगत संवाद को प्राथमिकता दी। इससे विद्यालय और समुदाय के बीच सीधा और गहरा रिश्ता बन पाया ए जो सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर ए दिल्ली के प्रधानाचार्यों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ए सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी माध्यमों पर अधिक निर्भरता दिखाई। हालाँकि यह तरीका आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है ए लेकिन इसमें व्यक्तिगत संपर्क की गर्मजोशी और स्थानीय समुदाय से आत्मीय जुड़ाव का अभाव देखने को मिला। परिणामस्वरूप ए हिमाचल की तुलना में दिल्ली में सहभागिता का स्तर कम घनिष्ठ प्रतीत हुआ।

6^व चुनौतियाँ. विद्यालय प्रबंधन समितियों की कार्यप्रणाली में आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में भी दोनों राज्यों के बीच दिलचस्प अंतर सामने आया। हिमाचल प्रदेश के लगभग 32% प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि वे एसएमसी के कार्यों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इन कठिनाइयों में सदस्यों की विविध पृष्ठभूमियाँ ए संसाधनों की कमी ए समय प्रबंधन की समस्या और निर्णय निर्माण में मतभेद प्रमुख हैं। इसके विपरीत ए दिल्ली में केवल 6% प्रधानाचार्यों ने ऐसी चुनौतियों का उल्लेख किया। सतही तौर पर यह स्थिति सकारात्मक प्रतीत होती है ए लेकिन गहराई से देखने पर यह संकेत देती है कि दिल्ली में एसएमसी का कार्य अपेक्षाकृत औपचारिक और सीमित स्तर तक ही सक्रिय है। कम चुनौतियाँ इस बात का संकेत हैं कि सदस्यों की वास्तविक सहभागिता और जिम्मेदारी का स्तर न्यून है।

सुझाव (Suggestions)

1^व एसएमसी की अवधारणा पर गहन कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ. दिल्ली के कई प्रधानाचार्य एसएमसी को केवल औपचारिक संस्था मानते हैं। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि नियमित कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से प्रधानाचार्यों को यह समझाया जाए कि एसएमसी विद्यालय प्रशासन की गुणवत्ता सुधारने का एक प्रभावी माध्यम है ए न कि केवल कानूनी औपचारिकता।

2^व सदस्यों की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय. बैठकों में उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष रणनीतियाँ बनाई जाएँ। उदाहरणस्वरूप दृष्टि बैठक की तिथि और समय सदस्यों की सुविधानुसार तय करना ए अभिभावकों को समय पर सूचना देना ए उपस्थिति को प्रोत्साहन, प्लबमदजपउमेद्व से जोड़ना और अनुपस्थित रहने पर कारण ज्ञात करना।

3^व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना. हालाँकि दोनों राज्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है ए फिर भी इसकी गुणवत्ता और नियमितता में अंतर है। सुझाव है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय संदर्भ और व्यावहारिक समस्याओं के आधार पर तैयार किया जाए। प्रशिक्षण में सहभागिता तकनीकों ए नेतृत्व कौशल ए वित्तीय प्रबंधन और समुदाय से जुड़ाव जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4^व संवाद और संचार के संतुलित माध्यम. दिल्ली में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भरता और हिमाचल में व्यक्तिगत संपर्क पर अधिक ज़ोर देखा गया। सुझाव है कि दोनों तरीकों का संतुलित उपयोग किया जाए। डिजिटल माध्यम सूचना साझा

करने के लिए उपयोगी है ए जबकि व्यक्तिगत संवाद विश्वास और आत्मीयता बढ़ाता है। विद्यालयों को चाहिए कि वे दोनों का मिश्रण अपनाएँ।

5ए सामुदायिक सहभागिता को और प्रोत्साहित किया जाए . विद्यालय प्रबंधन समितियों की सफलता तभी संभव है जब समुदाय विद्यालय की गतिविधियों से आत्मीयता और जिम्मेदारी महसूस करे। इसके लिए **अभिभावक शिक्षक मेलों** ए ग्राम स्तर की बैठकों ए सांस्कृतिक आयोजनों और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

6ए चुनौतियों को अवसर में बदलने की रणनीति . हिमाचल प्रदेश में अधिक चुनौतियाँ दर्ज की गईं ए जबकि दिल्ली में चुनौतियाँ अपेक्षाकृत कम थीं। यह अंतर बताता है कि हिमाचल में कार्य अधिक गहराई से हो रहे हैं। सुझाव है कि दोनों राज्यों में एसएमसी को आने वाली समस्याओं का निदान और समाधान साझा मंचों पर किया जाए। यदि कठिनाइयों को अवसर के रूप में लिया जाए तो यह संस्थागत विकास और पारदर्शिता को और मजबूत करेगा।

7ए प्रधानाचार्यों की नेतृत्व क्षमता को सशक्त करना . प्रधानाचार्य विद्यालय प्रशासन के केंद्र में होते हैं और एसएमसी की दिशा तय करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुझाव है कि **लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स** और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि वे एसएमसी को विद्यालय सुधार के एक सशक्त साधन के रूप में सक्रिय कर सकें।

8ए एसएमसी के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन . सिर्फ गठन और बैठकें पर्याप्त नहीं हैं। सुझाव है कि राज्य स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन की ठोस प्रणाली विकसित की जाए ए जिससे यह पता चल सके कि एसएमसी किस हद तक विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक विकास में योगदान दे रही है।

उपसंहार (Conclusion)

विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना है ए जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समुदाय से जोड़ना और अभिभावकों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इस शोध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों की अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि दोनों ही राज्यों के प्रधानाचार्य एसएमसी की कानूनी ए प्रशासनिक और शैक्षिक भूमिका से भलीभांति परिचित हैं ए जो उनके नेतृत्व की जागरूकता और शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य एसएमसी को विद्यालय प्रशासन का सहायक एवं सलाहकार अंग मानते हैं ए जबकि दिल्ली में कई प्रधानाचार्य इसे केवल औपचारिक संस्था के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण दोनों राज्यों के परिणामों में अंतर का मुख्य कारण है। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी की बैठकें अधिक सार्थक और सहभागी पाई गईं ए सदस्यों की उपस्थिति व संवाद की गुणवत्ता बेहतर रही ए जबकि दिल्ली में उपस्थिति और सहभागिता अपेक्षाकृत सीमित रही तथा संचार अधिकतर डिजिटल माध्यमों पर केंद्रित पाया गया। प्रशिक्षण की दृष्टि से दोनों राज्यों में स्थिति संतोषजनक दिखी ए परंतु हिमाचल प्रदेश इस दिशा में अधिक नियमित और व्यावहारिक रूप से सक्रिय रहा। चुनौतियों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्यों ने समस्याओं को खुलकर स्वीकार किया ए जबकि दिल्ली में समस्याओं की संख्या अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई ए जो यह संकेत करती है कि दिल्ली में सहभागिता सतही स्तर पर रही। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि एसएमसी की वास्तविक प्रभावशीलता केवल कानूनी गठन तक सीमित नहीं है ए बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाचार्य और सदस्य इसे कितनी गंभीरता और सक्रियता से अपनाते हैं। यदि प्रधानाचार्य एसएमसी को विद्यालय सुधार का सहयोगी मानकर कार्य करें ए तो समितियाँ विद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता ए उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक सशक्त बना सकती हैं। अतः कहा जा सकता है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में एसएमसी की अवधारणा को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए प्रधानाचार्यों की नेतृत्व क्षमता ए सदस्यों का नियमित प्रशिक्षण तथा समुदाय के साथ सहयोगात्मक संबंधों को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। यही विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि और लोकतांत्रिक भागीदारी की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा।

संदर्भ (References)

- 1^ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ,त्पहीज जव स्कनबंजपवद /बजए 2009द्वा० भारत सरकारए मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
- 2^ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ,छब्तजद्वा० 2015द्वा० स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका एवं कार्यप्रणाली ८ नई दिल्ली रु एनसीईआरटी प्रकाशन।
- 3^ए सरकारए डी ८ ,2018द्वा० विद्यालय प्रबंधन और समुदाय की सहभागिता ८ नई दिल्ली रु अटल पुस्तक प्रकाशन।
- 4^ए शर्मा ए आर ८ ,2020द्वा० स्कूल गवर्नेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंडिया ८ नई दिल्ली रु अटलांटिक पब्लिशिंग।
- 5^ए गिरि ए जितेंद्र कुमार ८ ,2025द्वा० विद्यालय प्रबंधन समिति रु दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन ,शोध ए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वा०
6. Government of Himachal Pradesh, Department of Elementary Education. (2018). SMC Guidelines for Elementary Schools. Shimla: Govt. of Himachal Pradesh.
7. Government of NCT of Delhi, Directorate of Education. (2019). School Management Committees: Operational Framework. New Delhi: DOE.
8. UNICEF. (2014). School Management Committees: A training module. New Delhi: UNICEF India.
9. SCERT Delhi & SCERT Himachal Pradesh – Annual Reports on SMC

10^एEducational Surveys and Field Data Collected from Selected Government Schools in Delhi and Himachal Pradesh (2024–25)

